SHRI CHITTA BASU (Barasat): I have given an adjournment motion...

MR. SPEAKER: That is not allowed. I have not allowed.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): What happened to the privilege motion which was kept pending?

अध्यक्ष महोदय : आप को जवाब देंगे, पूरा जवाब देंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे रेल मंत्रालय से जो जवाब मिला है, वह संतोषजनक नहीं है ।

MR. SPEAKER: Then again we will see. . . उसे फिर देख लेंगे । अगर आपकी तसल्ली नहीं होती है तो मेरे से फिर बात कर लीजिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपकी तसल्ली हो गई क्या ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी तसल्ली होने के लिए भेजा है । मैंने आपकी तसल्ली करवानी है । आइये, मेरे साथ बात करिए ।

12.02 hrs.

CALLING ATTENTION OF MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED DISPLACEMENT OF HARIJANS AND TRIBALS DUE TO ACQUISITION OF THEIR LANDS FOR VARIOUS COAL PROJECTS IN BIHAR

MR. SPEAKER: Shri Ranjit Singh. Not here. Shri Ram Swarup Ram.

श्री राम स्वरूप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"बिहार के रांची, धनबाद, पलामू और हजारीबाग जिलों में विभिन्न कोयला परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण किये जाने के परिणामस्वरूप 3 एकड़ से कम भूमि वाले हरिजनों और आदिवासियों के विस्थापित हो जाने का समाचार ।"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): Sir, as the Honourable Members are aware, for meeting the increasing demand of energy and other requirements of the country, we have to increase our coal production. Accordingly a target of 144 million tonnes of coal production has been fixed for the terminal year of the Sixth Plan, for Coal India. For this, all the subsidiaries of Coal India will have to take up a number of new projects which will require acquisition of lands. From January, 1980 to February, 1981, 21 projects with targetted production of 31 million tonnes and investment of Rs. 400 crores have been cleared. During the year 1981-82, 35 proposals with a production capacity of 38 million tonnes and investment of Rs. 960 crores will be in hand.

Three subsidiaries of Coal India, namely, Central Coalfields Ltd., Bharat Coal fields Ltd., and Eastern Coalfields Ltd., which are working in the districts of Dhanbad, Palamau, Hazaribagh and Ranchi, are acquiring land for their new opencast as well as underground mines in these districts. These lands are acquired either under the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 or under the Land Acquisition Act, 1894 or by direct negotiations with land-holders. Since this Government has come to power matters of land acquisition are always dealt with in consultation with the

[Shri Vikram Mahajan]

State Government. This is specially so with regard to matter of quantum of compensation which is finalised according to the advice of the State Government. We are depositing money with the State Government to give to land losers their compensation as quickly as possible. We are also trying to rehabilitate the land losers to the extent possible in consultation with the concerned State Government. BCCL norm in this matter is to give one job for 2 acres of paddy land or three acres of non-paddy land. However, it is very difficult to have any hard and fast rule in this matter though, as I have mentioned, we would like to settle this matter in consultation with the concerned State Government. For the national interest, we have to come to some sort of understanding with the State Government, and in this matter I am prepared to be guided by the State Government, but it won't be possible for us to offer jobs to all the land losers at one time. It has to be done in a phased manner. It is true that as we go for new mining projects or extension of the existing mines we will require more people for doing the job, but it has also to be borne in mind that in order to increase production, to which there is no alternative, we have to undertake modernisation and mechanisation of mines. This will naturally limit the scope of any large scale employment at one point of time. Besides, Coal industry cannot be allowed to become an unremunerative industry indefinitely. This applies to the open-cast mines and also the underground mines. We have to adopt a policy which while being acceptable to all concerned should also be in the larger national interest.

12.08 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्री राम स्वरूप राम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विषय की गभीरता को देखते हुए यह ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में रांची, धनबाद, हजारीबाग, पलामू और गिरड़ी आदि जिले हैं जहां पर सारे का सारा कोयले का क्षेत्र है। सैकड़ों कोलियरी परियोजनाएं वहां पर रन कर रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बिहार, खासकर दक्षिण बिहार, जिसको छोटा नागपुर भी कहते हैं, वह कोयले का बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहां पर 90 प्रतिशत हरिजन-आदिवासी रहते हैं। सारा स्थान जंगलों से भरा हुआ है और अगर कहीं पर उनको थोड़ी सी जगह मिलती है तो वहां पर थोड़ा सा मक्का, अरहर, मडुआ या बाजरा आदि उपजाकर अपना पेट पालते हैं। कोयले की 21 परियोजनाएं आप उनकी जमीन पर चालू करने जा रहे हैं। ये हरिजन--आदिवासी हैं और 90 प्रतिशत छोटा-नागपुर में इनकी आबादी है। आप कहते हैं कि कंपेंसेशन स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से तय किया जाएगा। परियोजनाएं आपकी चालू होंगी और जवाबदेही स्टेट गवर्नमेंट पर आप डालना चाहते हैं। आप कहते हैं कि कंपेंसेशन के रेट्स स्टेट-गवर्नमेंट तय करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जितनी गंभीरता से मैंने इस विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया था, मुझे दुःख है कि माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय ने उसकी गंभीरता को नजरअन्दाज किया है। यह प्रश्न हरिजन-आदिवासियों का है, जिनके जमीन नहीं है। इसके बाद वे जाकर जंगल में रहेंगे, तो बिहार गवर्नमेंट का जंगल विभाग कहेगा कि यह जंगलों की जमीन है, तुम्हें यहां पर नहीं रहने दिया जाएगा। जहां पर अभी रह रहे हैं, वहां से उन्हें उजाड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, इनके पुनर्वास की एक गंभीर समस्या देश के सामने खड़ी हो जाएगी।

मैं सवाल करना चाहता हूं। चाहे किसी का घर ही क्यों न हो या कोई

गांव में धान की खेती ही क्यों न करता हो और उसके पास एक कट्ठा, दो कट्ठा, तीन कट्ठा या पांच कट्ठा जमीन हो क्यों न हो—इस में तीन बीघे का कोई सवाल नहीं है—उसके बारे में क्या सरकार विचार करेगी कि हर विस्थापित होने वाले परिवार में एक-एक आदमी को नौकरी अवश्य दी जाएगी ? वहां पर आदिवासी और हरिजन लोग ही 95 प्रतिशत रहते हैं। इस वास्ते क्या सरकार उनके हर परिवार में से एक-एक आदमी को नौकरी देने की व्यवस्था करेगी ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI): I would like to mention that the country's output per man shift at the present moment is 0.70. It is expected to increase in 1984-85 to 1.20 per man shift per tonne. This output per man shift is very low. In the U.S.A. it is 3.70 tonnes to 20.7 and in the United Kingdom it is 14.7 to 10.5. This means that we have to employ more mechanisation and all that We have also to improve the mines and modernise them with the latest technique. I quite agree with the hon. Member that human aspect has to be looked into and as I have said in these matters we would like to be guided by the State Government specially with regard to the tribals and harijans. We are prepared to give special attention to this aspect of the matter. I will only request the hon. Member to remember a small point that giving jobs to all the land losers at a time would not possible. But as we explained, in phases, we will be able to give jobs to them. very shortly I am visiting Patna and I would again have a dialogue with the Chief Minister and also have consultation with the State Government so that we settle the claims.

श्री राम स्वरूप शर्मा : मंत्री महोदय ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट से कंसलटेशन करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों सरकार सारी बातों को स्टेट गवर्नमेंट पर फेंकना चाहती है ? योजना आप बना रहे हैं। सारा बैनिफिट आपको होगा। फिर क्यों आप स्टेट गवर्नमेंट को बीच में ला कर अपनी जवाबदेही से हटना चाहते हैं ? यह बिहार की ही बात नहीं है। आपको सारे देश के लिए यह पालिसी बनानी चाहिए। चाहे कोई हरिजन हो, आदिवासी हो या गरीब आदमी हो, जिस किसी की भी जमीन ली जाती है तो राज्य सरकार उसको कंपेंसेशन नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति बने उसका पालन करे, क्या इस तरह की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं ?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: So, far as the land rules are concerned, naturally consultations with the State Government is necessary and it is for the State Government to acquire the land on our behalf. We cannot do that ourselves. We have to take the State Government into confidence.

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : ऊर्जा मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह बिल्कुल असन्तोषजनक है। हमने ध्यानाकर्षण में यह जानना चाहा था कि ऐसे लोग जिन की तीन एकड़ से कम जमीन है, क्या ऐसे लोगों को सरकार नौकरियां देने का विचार कर रही है ? तो इन्होंने उत्पादन का आंकड़ा पेश कर दिया। रांची, पलामू, धनबाद, हजारीबाग के जो इलाके हैं, वहां सारे क्षेत्र में कोलफील्ड हैं और उन में 95 प्रतिशत से भी ज्यादा हरिजन और आदिवासी तथा बैकवर्ड लोग रहते हैं। हरिजन और आदिवासी लोग तीन एकड़ से कम जमीन के मालिक हैं। उनके पास एक मामूली सा मकान, एक छोटी सी सब्जी की खेती करने लायक भूमि और एक कुआं हो मुश्किल से होता है। और इस तरह से हमारे हरिजन और आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन

[श्री शिव प्रसाद साहू]

कोल फ़ील्ड के लिए सालों से ली जा रही है। यह कहते हैं कि जिनके धान के दो एकड़ के खेत जायेंगे उनको भी नौकरी देंगे। मंत्री जी आंकड़े पेश करें कि दो एकड़ वालों को कितनों को नौकरी दी है ? मेरी समझ से किसी को नहीं। केवल इनके अधिकारियों के जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को नौकरी मिली होगी। आज सारे छोटा नागपुर में आग लगी हुई है। जो इनके अधिकारीगण हैं उनके भाई-भतीजे काफ़ी चालाक हैं। आदिवासियों की जमीन तो नहीं बिकती है, फिर हरिजनों की जमीन बिकती है। जब वह जानते हैं कि दो, तीन साल में यहां इस तरह का प्रोजेक्ट खुलेगा तो हरिजन भाइयों को बरगलाते हैं और अगर 1,000 रु० प्रति एकड़ उस जगह जमीन का भाव है तो उनको लालच दे कर, सिनेमा दिखा कर 4, 5 हजार रु० प्रति एकड़ के हिसाब से उनकी जमीन ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हीं खेती करो और उसमें से आधा हिस्सा खुद रखो। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट खुलने का समय आया तो हरिजन लोग उस भूमि से महरूम हो जाते हैं और काम भी उनको नहीं मिलता। यह कहते हैं कि 2 एकड़ जमीन वालों को जिनके धान के खेत हैं नौकरी देते हैं। यह सरासर झूठ है। हमारे रांची जिले में खिलाड़ी के पास इनका हेसालींग प्रोजेक्ट है जिसमें 300 आदमी काम कर रहे हैं, उनमें से केवल 5 आदमियों को ही काम दिया गया है जिनकी जमीन ली गई। हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी कहती हैं कि हरिजनों और आदिवासियों को नौकरी में प्राथमिकता देंगे लेकिन वहां ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। उसके बगल में एक और प्रोजेक्ट है जिसमें 200 आदमी काम कर रहे हैं। उसमें केवल 33 आदमियों को ही काम मिला है। श्रीमन, छोटा नागपुर में आग लगी हुई है। हासिया में कारखाना है, स्वर्णरेखा डैम प्रोजेक्ट खुला है, सभी आदिवासियों, हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है।

सरकार हरिजनों, आदिवासियों के कल्याण की बात करती है तो सही माने में उनका कल्याण करना चाहिए। जिनकी जमीन जाती है उनको नौकरी भी नहीं मिलती। बेचारे कैसे अपना जीवन चलायेंगे ? क्या भविष्य होगा 95 प्रतिशत उन आदिवासियों का यह एक गंभीर सवाल है। वह लोग घर के लिए जंगल में जाते हैं जमीन मांगने के लिए तो जंगल विभाग कहता है कि यहां वन लगाना है इसलिए आपको जमीन नहीं देंगे। पी० डब्ल्यू० डी० वालों से जमीन मांगते हैं तो वह भी नहीं देते। तो आदिवासियों के मुंह से यह आवाज बरबस निकलती है कि हमारे पूर्वज रोहतास से 500–600 साल पहले आये और यहां जमीन आबाद कर बसे लेकिन अब न हमारे पास जमीन है और न नौकरी है। ऐसी हालत में सिवाय क्रान्ति के उनके पास क्या रास्ता रह जाता है ? आज सारा छोटा नागपुर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। आप समय रहते जाग जाइए। उनके साथ होने वाला अन्याय रुकना चाहिए। मेरी पुरजोर मांग है कि जिनकी भी 3 एकड़ से कम जमीन जाये उनको भी नौकरी अवश्य मिलनी चाहिए। हम 18 संसद् सदस्यों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को ज्ञापन दिया, बिहार के मुख्य मंत्री को ज्ञापन दिया, ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन दिया। आप बिहार सरकार से जरूर बात करें, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भाई-भतीजावाद बाहर के लोगों द्वारा चल रहा है और छोटा नागपुर क्षेत्र में हरिजनों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं इसको अविलम्ब रोका जाए, नहीं तो छोटा नागपुर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप भविष्य में, जिनकी भी 3 एकड़ से कम जमीन ली जायगी उनको नौकरी देंगे अथवा नहीं ?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: I have categoricallly said that whatever may be the norms of the Government e.g. BCCL's norm in this matter is to give one job for two acres of paddy land or three acres of non-paddy land—we are putting aside this norm. We are creating a new norm in consultation with the State Government. We are asking the State Government and we ourselves—as to whom we should call land losers. Suppose some body has one kaitha. Shall we call him land loser? But I can assure the honourable gentleman that for Harijans, we will give special attention. I have repeated this. For Harijans, Advasis and backward classes, we willl give special attention. There is no doubt about it. And I will create a special norm for them.

12.21 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

COCONUT DEVELOPMENT BOARD

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION (RAO BIRENDRA SINGH): I beg to move the following:

"That in pursuance of sub-section (4) (e) of Section 4 of the Coconut Development Board Act, 1979, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as member of the Coconut Development Board, subject to the other provisions of the said Act."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-section (4) (e) of Section 4 of the Coconut Development Board Act, 1979, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Coconut Development Board, subject to the other provisions of the said Act."

The motion was adopted.

12.23 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THIRTEENTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): I beg to move:

"That this House do agree with the Thirteeth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 9th March, 1981."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Substitute motion by Shrimati Pramila Dandavate. She is not here. Shri Satya Narain Jatiya is not here.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): I have also a substitute motion. I have written. I have given three points.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your substitute motion is negative in character.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: can I say a few words?

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. You must help me. I can go only according to the rules. I have no powers to break the rules. I am not permitting you.

(Interruptions)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I know you are not permitting me. That I know. But I have a point of order. How can you not allow a point of order?

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is your point of order?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I want to be very reasonable, and I also admit my error in making a small technical error. I just want to bring this to your attention: when a Member feels cheated, you have to protest him. Now the Vaidyalingam report, Gold Auction etc.—we here everything in the newspapers. What is this House meant for? Then there is the Special